


# समक्ष में माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

पुनरीक्षण 2018



क्रि.सं. - 4560/2018/उमरिया/भू-र.

सुखनंदन पिता गया प्रसाद साहू साकिन रक्सा थाना व तहसील मानपुर जिला उमरिया म0प्र0

..... आवेदक

बनाम

1. कमला बाई पति स्व0 रामकिशोर साहू
2. बृन्दावन साहू पिता रामकिशोर साहू
3. अन्नू साहू पिता रामकिशोर साहू
4. चन्द्रिका साहू पिता रामकिशोर साहू सभी साकिन रक्सा थाना व तहसील मानपुर

जिला उमरिया म0 प्र0

मान्यवर, उमरिया, 23-7-18  
20-7-18  
60/2018  
23-7-18

..... अनावेदकगण

पुनरीक्षण विरुद्ध श्री मान् अपर आयुक्त  
शहडोल सम्भाग शहडोल के राजस्व  
प्रकरण क्रमांक 163/द्वितीय  
अपील/2012-13 आदेश दिनांक  
31/08/2017 पुनरीक्षण अनतर्गत धारा  
50 का0 मा0 (म0 प्र0)।

मान्यवर,

पुनरीक्षण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि :-

आवेदक व अनावेदकगण एक ही परिवार के ग्राम रक्सा के निवासी है जो कि आवेदक व अनावेदिका क्रमांक 01 के पति व क्रमांक 02, ता 04 के पिता आपस में सगे भाई है अर्थात स्व0 बाबा लक्ष्मिन प्रसाद के वारिसान है। स्व0 लक्ष्मिन प्रसाद साहू के जीवनकाल में दो पत्नियों थी प्रथम पत्नी के पांच पुत्र क्रमशः रामभवन, राममित्र, रामकिशोर, स्वामीदीन बुद्धसेन थे तथा दूसरी पत्नी से नमई भईयालाल बाबूलाल थे तथा ग्राम रक्सा में स्व0 लक्ष्मिन साहू के नाम बन्दोवस्ती आराजियात लगभग 180 एकड भूमियाँ थी। जिन्हे सीलिंग एक्ट दायरे में आने के कारण वालिग पुत्रों के नाम जरिये नामांतरण दर्ज कराते हुये पुत्र रामकिशोर के नाम लगभग 29.00 एकड भूमि नामांतरण करा दी गई थी। चूकि रामकिशोर कर्ता खानदान था। जबकि 8 पुत्रों एवं स्वयं का बराबर बराबर हिस्सा 20-20 एकड होता था व तत्कालीन मौखिक आपसी विभाजन अनुसार सभी भाई तत्कालीन समय से काबिज दाखिल चले आ रहे है। इस प्रकार स्व0 रामकिशोर के नाम जो 20 एकड के बजाय 29.00 एकड भूमि भौतिक कब्जे के बजाय राजस्व रिकार्ड में ज्यादा थी

(1)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ  
भाग-अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4560/2018

जिला-उमरिया

सुखनन्दन विरुद्ध कमला *विरुद्ध अ-२*

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पदाधिकारी एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04 -09-18	<p>प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री आनन्द कुमार दुबे को ग्राहयता के तर्क पर दिनांक 28.08.18 को सुना गया ।</p> <p>2/ आवेदक के अभिभाषक ने अपर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के प्र0क्र0 163/अपील/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 31.08.2017 के विरुद्ध भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।</p> <p>3/ मेरे द्वारा आवेदक के अभिभाषक के तर्कों पर विचार किया गया तथा अपर आयुक्त के आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया । अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में यह निष्कर्ष निकाला है कि अनुविभागीय अधिकारी ने नामांतरण पंजी पर भूमिस्वामी रामकिशोर के अंगूठा निशान संदिग्ध मानते हुये आदेश की जानकारी के दिनांक से समय अवधि की गणना मान्य की है । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में यह भी माना है कि अनावेदक की ओर से प्रस्तुत म्याद अधिनियम की धारा 5 एवं शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें विलम्ब का कारण दर्शाया था, जिसका कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही शपथ-पत्र का खण्डन ही किया गया । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा प्रस्तुत अपील को समय-सीमा में मानकर अनुविभागीय अधिकारी को</p>	

सुखानन्द / कमला बाई व अ-4

प्रकरण तीन माह में गुण-दोषों के आधार पर निराकरण करने के निर्देश दिये हैं। अपर आयुक्त का यह भी कहना है कि अपील के निराकरण के समय गुण-दोषों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया जाना चाहिये न कि तकनीकी आधार पर। इसी कारण अपर आयुक्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुये प्रकरण का निराकरण गुण-दोषों के आधार पर किये जाने के निर्देश दिये हैं, जिसमें कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती। इसके अतिरिक्त आवेदक को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष पुनः रखने का अवसर उपलब्ध है।

4/ दर्शित परिस्थितियों में ग्राह्यता के पर्याप्त आधार न होने से निगरानी अग्राह्य की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी प्रकरण का निराकरण उभयपक्ष को सुनने व साक्ष्यों के परीक्षण के बाद एवं अभिलेखों के अवलोकन उपरांत गुण-दोषों के आधार पर प्रकरण का निराकरण करें। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।

2h  
2  
4/9/18  
(आर.के. जैन)  
सदस्य